

फैक्ट सीट

क्र० सं०	विवरण	उत्तर
1	परियोजना का नाम	जिला योजना के अन्तर्गत खडलेख भना डाना टिकटा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
2	प्रस्तावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल है० में सिविल एवं सोयम भूमि आरक्षित वनभूमि वन पंचायत भूमि कुल वनभूमि का योग नाप भूमि कुल भूमि का योग	0.140 है० — है० 1.610 है० 1.750 है० 1.350 है० 3.100 है०
3	प्रस्तावित विभाग का नाम	लोक निर्माण विभाग कपकोट
4	वन प्रभाग का नाम	बागेश्वर वन प्रभाग कपकोट/बागेश्वर
5	प्रस्ताव बाईडिंग किया गया है	हाँ / नहीं
6	प्रस्ताव में विषय सूची भरी गयी है	हाँ / नहीं
7	क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग 1, 2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गयी है।	हाँ / नहीं
8	क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है।	हाँ / नहीं
9	प्रस्ताव क्षेत्र की हरियाली का धनत्व दर्शाया गया है।	हाँ / नहीं
10	प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची / प्रमाण पत्र संलग्न है	हाँ / नहीं
11	बाज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है।	हाँ / नहीं
12	प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है।	हाँ / नहीं
13	संरक्षण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है।	हाँ / नहीं
14	क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का धनत्व सही है।	हाँ / नहीं
15	क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है।	हाँ / नहीं
16	क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है।	हाँ / नहीं
17	प्रस्तावित परियोजना के आस पास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है।	हाँ / नहीं
18	क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।	हाँ / नहीं
19	प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है यदि हाँ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है।	हाँ / नहीं
20	क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में भरा गया है	हाँ / नहीं
21	प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है। (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें)	हाँ / नहीं
22	क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग अलग रंग से भरा गया है।	हाँ / नहीं
23	यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है।	हाँ / नहीं
24	क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है।	हाँ / नहीं

सहायक अभियन्ता
निर्माण खड
कपकोट

25	यदि उलंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुए दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय	आवश्यकता नहीं है।
26	परियोजना निर्माण हेतु तलाशी गयी अन्य सम्भावनायें / वैकल्पिक संरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं।	हाँ / नहीं
27	वैकल्पिक संरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय)	प्रतिवेदन / प्रमाण पत्र में विस्तृत विवरण दिया गया है।
28	लगत लाम विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है। (5 है0 से अधिक के प्रकरणों पर लागू होगा)	लागू नहीं होता है।
29	मानचित्र व बारचार्ट में एक रूपता है।	हाँ / नहीं
30	मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है। अथवा मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है।	हाँ / नहीं
31	राज्य सरकार द्वारा लगायी जाने वाली शर्तों का प्रमाण पत्र संलग्न है।	हाँ / नहीं
32	क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियां मूल में संलग्न है। यदि छाया प्रतियां संलग्न की गयी हैं। तो क्या वे सत्यापित हैं।	हाँ / नहीं
33	यदि वनभूमि लीज पर दी जाती है तो लीज अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न है।	हाँ / नहीं
34	वित्तीय / प्रशासकीय स्वीकृति संलग्न है।	लागू नहीं होता है।
35	क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है।	हाँ / नहीं
36	क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्र संलग्न है।	हाँ / नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फॉर्म सीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण पत्र / सूचनायें संलग्न कर दी गयी हैं।

अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0,
कपकोट

Photo of all the
(10)
तहायक अभियन्ता
निर्माण खंड
लो0नि0वि0 कपकोट

प्रभारी योजनाधिकारी
बागेश्वर यन्त्र प्रभाग
बागेश्वर

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

क्र.सं.	परियोजना विवरण :-	
1	क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव / परियोजना / स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	जिला योजना के अन्तर्गत खडलेख भनार डाना टिकटा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
	ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है।
	ग) परियोजना की लागत।	180 लाख रुपया
	घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	
	ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	लागू नहीं है। (5. हे० ले कम)
	च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	कृषि, दुग्ध एवं पर्यटन के आवागमन में वृद्धि होगी तथा रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे
2	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:	प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण हेतु सिविल भूमि- 0.140 हैक्टेयर, वन पंचायत-1.610 हैक्टेयर (कुल वनभूमि-1.750 हैक्टेयर) वनभूमि
3	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई हो।	नहीं
	क) परिवारों की संख्या	
	ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	नहीं
	ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	नहीं
4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है? (हां/नहीं)	अभी मार्ग कच्चा बनना है आवश्यक हुआ तो डामरीकरण के समय पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।
5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरकवनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)	संलग्न है।
6	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।	अनुसूची संलग्न है।

दिनांक 31/3/2011

स्थान कपकोट, बोगेश्वर

सहायक अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.
कपकोट

प्लेन ऑफिसर
(क)
सहायक अभियंता
निर्माण खंड
लो.नि.वि. कपकोट

अधिष्ठाता अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.
कपकोट

भाग- III
(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जायेगा)

14-	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों की निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	दिनांक 03.08.2012
15-	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं।	सहमत
16-	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिश।	जनहित में स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती हैं। प्रतिबन्ध यह होगा कि प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित होने वाले 10-20. सेमी0 व्यास वर्ग के पौधों का प्रस्तावक विभाग द्वारा स्वयं के व्यय से निकटवर्ती उपलब्ध रिक्त क्षेत्र में प्रत्यारोपण किया जायेगा तथा प्रत्यारोपित पौधों की सुरक्षा हेतु माकूल व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।

तिथि - 22.08.2012

स्थान - अल्मोड़ा

Photostat की

(M)

तहायक अभियन्ता

निर्माण खंड

ब्रह्मनिधि कपकोट

वन वृक्ष संरक्षक

उत्तरी कुमाऊँ वृक्ष, उत्तराखण्ड

उत्तरी कुमाऊँ वृक्ष, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष,
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

- 17- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने
या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की
विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।
(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक
अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल
टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय
और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

तिथि :
स्थान :

हस्ताक्षर:

(नाम और पदनाम)
सरकारी मोहर

भाग-V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी
जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

- 18- राज्य सरकार की सिफारिश:
(उपर्युक्त भाग-II या भाग-III या
भाग-IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी
द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर
विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

तिथि :
स्थान :

हस्ताक्षर:

(नाम और पदनाम)
सरकारी मोहर